भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1844

दिनांक 09 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

सील किए गए अवैध बोरवेल और उनका नियमितीकरण

1844. श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने अवैध बोरवेल सील किये गये तथा उनमें से कितने बोरवेल की अनुमति नियमित की गई, तत्संबंधी राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन बोरवेलों की सीलिंग के बाद जल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ा है और इसे किस प्रकार मापा गया है;

(ग) अवैध बोरवेलों की पहचान करने और सीलिंग में राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है और इसके लिए कौन-सी तकनीकी या डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाई जा रही है; और

(घ) क्या सील किए गए बोरवेलों के पुनः उपयोग या वैध बनाने की कोई नीति तैयार की जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा दिनांक 24.09.2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार औद्योगिक अवसंरचना, खनन आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर 19 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल की निकासी का विनियमन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 17 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अपने स्वयं के नियामक फ्रेमवर्क / प्राधिकरण हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, सीजीडब्ल्यूए द्वारा अवैध बोरवेलों को सील करने की शक्ति जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई हैं। ऐसे सील और विनियमित किए गए अवैध बोरवेलों की संख्या संबंधी आंकड़ों का रख रखाव केवल राज्य/जिला अधिकारियों के स्तर पर ही किया जाता है।

(ख): चिह्नित अवैध बोरवेलों को सील करने का भूजल संसाधनों पर केवल सीमित और स्थानीय प्रभाव ही पड़ा है। हालाँकि, समग्र विश्लेषण के अनुसार, देश के भूजल संसाधनों का डेटा यह

दर्शाता है कि समुचित विनियमन और नागरिकों के मध्य बढ़ती जागरूकता के कारण देश में कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण वर्ष 2017 में 249 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) से घटकर वर्ष 2025 में 247.22 बीसीएम हो गया है।

(ग): 'जल' राज्य का विषय है, भूजल दोहन का विनियमन, जिसमें अवैध निकासी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना भी शामिल है, मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकरणों (जहाँ भी स्थापित हों) या संबंधित राज्य विभागों/जिला प्रशासन को आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान किए जाते है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी दिनांक 24.09.2020 के दिशा-निर्देशों में परियोजनाओं द्वारा भूजल के अवैध और अत्यधिक दोहन पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रावधान हैं। टेलीमेट्री प्रणाली सहित जल प्रवाह मीटर संस्थापित करना और इसके नियमित रखरखाव तथा निष्कर्षण संबंधी आंकड़ों का संग्रहण एवं उन्हें प्रस्तुत करना भूजल निकासी के लिए एनओसी जारी करने की एक अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त, उक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित सीमा से अधिक भूजल निष्कर्षण करने वाले उद्योगों/परियोजनाओं के परिसर के भीतर जल स्तर रिकॉर्डर के साथ पीज़ोमीटर की संस्थापना भी अनिवार्य है। इसका उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों में भूजल संसाधनों पर निष्कर्षण के प्रभाव की मॉनिटरिंग करना है।

(घ): इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन करने पर और भूजल दोहन शुल्क, जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) शुल्क आदि समस्त लागू देय के भुगतान करने पर, सीजीडब्ल्यूए द्वारा सील किए गए बोरवेलों को नियमित कर अनुमत्य मात्रा में भूजल निष्कर्षण की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदत है।

*****